वित्तीय सेवाएं विभाग
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES)

I. बीमा

1. साधारण बीमा से संबंधित नीति; बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) और साधारण बीमा कारबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57) का प्रशासन और संबंधित मामले, साधारण बीमा और पब्लिक सेक्टर में पुनर्बीमा कंपनियां।
2. जीवन बीमा से संबंधित नीति; जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) का प्रशासन और संबंधित मामले, भारतीय जीवन बीमा निगम।
3. बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) का प्रशासन और संबंधित मामले।
4. उपरोक्त 1 से 3 तक की किसी भी प्रविष्टि की बाबत केन्द्रीय प्रशासित क्षेत्रों से संबद्ध मामलों के संबंध में केन्द्रीय सरकार का उत्तरदायित्व।

II. बैंककारी

1. भारतीय बैंकों, चाहे वे राष्ट्रीयकृत हों या नहीं, से संबंधित सभी मामले।
2. विदेशी बैंकों, जहां तक भारत में उनकी संक्रिया का संबंध है, से संबंधित सभी मामले।
3 भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित सभी मामले।
4 सहकारी बैंककारी से संबंधित सभी मामले।
5 अखिल भारतीय विकास वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले, जिसके अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई), आईएफसीआई लिमिटेड, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक (आईआईबीआई) से संबंधित मामले भी हैं।
6 भारतीय आयात-निर्यात बैंक से संबंधित मामले।
7 पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) का प्रशासन।
8 सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन कंपनी संबंधी मामले।
9 अवसंरचना विकास वित्त निगम (आईडीएफसी) और इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएलएफएस) से संबंधित मामले।
10 चिटफंड और निक्षेप स्वीकार करने वाली अन्य गैर-बैंककारी कंपनियां।
11 भारत में बैंककारी से संबंधित अन्य मामले।
12 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) संबंधी मामले।
13 प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) का प्रशासन।
14 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 (1993 का 51) का प्रशासन।
15 राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कार्यान्वयन संबंधी मामले।

16 रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 के कार्यान्वयन से संबंधित मामले, जिनके अंतर्गत औद्योगिक वित्त पुनर्संरचना बोर्ड (बीआईएफआर) और औद्योगिक वित्तीय पुनर्संरचना अपील प्राधिकरण (एएआईएफआर) से संबंधित मामले भी हैं।

17 राष्ट्रीय आवास बैंक संबंधी सभी मामले।

18 संघ सूची की प्रविष्टि 38, 45 और 46 से संबंधित सभी अन्य कानूनों, विनियमों और अन्य विधियों का प्रशासन।

19 प्रतिभूतिकरण और पुरोबंध संबंधी मामले।

20 विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 (1992 का 27) का प्रशासन।

21 बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10), बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40), बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891(1891 का 18), बैंक सेवा आयोग अधिनियम, 1984 (1984 का 44)।

22 भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) तथा भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 (1959 का 38) का प्रशासन।

23 भारतीय रिजर्व बैंक (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953 (1953 का 54)।

24 राज्य कृषि उधार निगम अधिनियम, 1968 (1968 का 60) का प्रशासन।

25 लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 (1983 का 48) का प्रशासन।

26 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961(1961 का 47) का प्रशासन।

27 परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (1881 का 26) का प्रशासन।

28 राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक अधिनियम, 2021 (2021 का 17) और इससे संबन्धित मामलों का प्रशासन।

III. पेंशन सुधार।